(vii) Training will be provided.

(c) No, Sir.

इंदौर से दाहोद तक रेलवे लाइन :

*218. **श्री राधाकिशन मालवीय :**
श्री अजीत जोगी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी रेलवे के अन्तर्गत इन्दौर से दाहोद तक प्रस्तावित नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य के संबंध में कोई निणय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस रेलवे लाइन को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने इसके निर्माण का अनुमोदन नहीं किया है।

Derailment of Chhattisgarh Express

*219. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that eight bogies of Chhattisgarh express derailed near Budni on the Central Railways on 3rd January, 1987;

(b) whether any enquiry in the causes of accident has been ordered; and

(c) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir..

(b) Yes, Sir.

(c) The accident occurred due to tampering with the track.

विभागेतर कर्मचारियों और डाक एवं तार विभाग के मजदूरी ढांचे में समानता

*220. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग में कार्य कर रहे लाखों विभागेतर कर्मचारियों और दैनिक मजदूरी वाले कर्मकारों को "समान कार्य के लिए समान वेतन" देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो विभागेतर कर्मचारियों को उनके काम के घंटों के अनुसार वतन देने और उनको सेवा में नियमित किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उच्चतम न्यायालय का उल्लिखित निर्णय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका की पुनरीक्षा करने संबंधी एक मामला है। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तक कार्यभार एवं उपस्थिति के घंटों के आधार पर प्रतिमाह की दर से समेकित भत्ता दिया जाता है। उनके समेकित भत्ते में हर वर्ष, अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को विभाग के श्रेणी 'घ' समूह में, विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात खपाया जा सकता है बशर्ते कि वे अतिरिक्त विभागीय एजेंट के रूप में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों तथा निर्धारित आयु सीमा के भीतर हों और उन्हें खपाए जाने के लिए पद रिक्त हों।